का.ज्ञा. सं. 4-2(12)/2020-डीडी-I

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003
दिनांक: 20.07.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) – दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों को सुगम्य मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलियर के वितरण के लिए पात्रता शर्त में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रशासित सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) को दिनांक 01.04.2022 से संशोधित किया गया है।

2. संशोधित एडिप योजना, 2022 के अनुसार योजना के पैरा 8.02 (क) को अब से नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए:

"क. 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सुगम्य मोबाइल फोन, पांच वर्ष में एक बार तथा लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलियर, स्कूल जा रहे दिव्यांग छात्रों (कक्षा 10 वीं और उससे ऊपर) के लिए 10 वर्ष में एक बार। तथापि, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की सीमा **पैरा-7.0** में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।"

3. विभाग ने यह महसूस किया कि कक्षा-X और उससे अधिक के दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों के लिए सुगम्य मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलर के वितरण हेतु 18 वर्ष की आयु के मानदंड से ऐसे छात्र इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं जो कक्षा-X और उससे अधिक में हैं परन्तु उनकी आयु 18 वर्ष से कम है। ऐसे छात्रों के डिजिटल समावेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने इस योजना के पैरा 2.02 (क) में आयु मानदंड को हटाने का निर्णय लिया है।

4. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से योजना के पैरा 8.02 (क) को संशोधित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"क.	दृष्टिबाधित छात्रों को पांच वर्ष में एक बार सुगम्य मोबाइल फोन और स्कूल जा रहे दिव्यांग छात्रों को 10 वर्ष में एक बार लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलियर (कक्षा 10 वीं और उससे ऊपर)। तथापि, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की सीमा **पैरा-7.0** में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।"

5.	एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियां कृपया इसे सूचनार्थ देखें और इसका अनुपालन करें।

(संदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल आईडी:- sandeepkumar.rth@nic.in
दूरभाष सं.:-011-24369027

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव/सचिव।
2. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां।

प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के निजी सचिव।
3. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (आर वाई) के प्रधान निजी सचिव।
5. सीएमडी एलिम्को, कानपुर।